भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *221
जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

बैंक खाते में न्यूनतम शेष धनराशि नहीं रखे जाने पर बैंकों द्वारा अत्यधिक शुल्क की वसूली

†*221. श्री सुरेश कुमार शेटकरः
प्रो. सौगत रायः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आम नागरिकों द्वारा बैंक खाते में न्यूनतम शेष धनरानि नहीं रखे जाने के कारण उनसे 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराति एकत्र की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निजी बैंकों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी ऐसा कर रहे हैं;

(ख) बैंक खातों में न्यूनतम शेष धनराशि न रखे जाने के कारण जुर्माने के रूप में अब तक बैंक-वार कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन के लिए जोर दिए जाने के बावजूद छोटे जमाकर्ताओं और दिहाड़ी मजदूरों को अपर्याप्त शेष धनराशि के कारण दंडित किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा निम्न आय वाले खाताधारकों से अनुचित रूप से एकत्र किए गए मासिक औसत शेष (एमएबी) संबंधी प्रभार को उन्हें तत्काल वापस किए जाने और उनके खाते में पुनः जमा करने का आदेश दिए जाने की संभावना है, यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंक खातों में न्यूनतम शेष धनराशि न रखे जाने के कारण लगाए गए जुर्माने संबंधी प्रभार को बट्टे खाते में डालने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या न्यायालय द्वारा जुर्माने संबंधी प्रभार को बट्टे खाते में डालने का कोई निर्णय दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बैंक करदाता समर्थित संस्थाओं से अपेक्षित लोक सेवा दायित्वों के निर्वहन के स्थान पर जुर्माने के माध्यम से राजस्व अर्जित किए जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) क्या जुर्माने के रूप में कटौती किए जाने के बारे में ग्राहकों को पहले समुचित रूप से चेतावनी दी गई थी अथवा क्या जानकारी होने के आधार पर दी गई सहमति के बिना प्रभार स्वतः ही लगा दिए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ज): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"बैंक खाते में न्यूनतम शेष धनराशि नहीं रखे जाने पर बैंकों द्वारा अत्यधिक शुल्क की वसूली" के संबंध में 9 मार्च, 2026 को माननीय संसद सदस्यों श्री सुरेश कुमार शेटकर और प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *221 के भाग (क) से (ज) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ज) बैंक जीरो बैलेंस बचत खाते की सुविधा प्रदान करते हैं। इन खातों में, *अन्य बातों के साथ-साथ* प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खातों सहित बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) शामिल हैं, ताकि विशेष रूप से बैंकिंग सुविधा से वंचित, संवेदनशील और छोटे जमाकर्ताओं के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और वहनीय और सुलभ बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इन खातों में कोई भी न्यूनतम धनराशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है और बैंकों द्वारा बिना किसी दंडात्मक प्रभार के जमा, निकासी और एटीएम एक्सेस जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। तदनुसार, पीएमजेडीवाई खातों सहित लगभग 72 करोड़ बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) न्यूनतम धनराशि नहीं रखने पर किसी भी दंडात्मक प्रभार के अध्यधीन नहीं हैं।

पीएमजेडीवाई खातों सहित बीएसबीडीए के अलावा अन्य खातों के लिए बैंक अपनी बोर्ड अनुमोदित नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा निदेशों के अनुसार न्यूनतम मासिक औसत शेष (एमएबी) नहीं रखने पर प्रभार लगा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे प्रभार तार्किक, पारदर्शी और सेवाएं प्रदान करने की लागत के साथ व्यापक रूप से संरेखित हों।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने न्यूनतम मासिक औसत शेष (एमएबी) नहीं रखने के कारण चालू खाता और बचत खाताधारकों सहित जमा खाताधारकों से 8,092.83 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा न्यूनतम मासिक शेष नहीं रखने पर एकत्र किए गए प्रभार का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्ष में एकत्र की गई 8,092.83 करोड़ रुपये की धनराशि इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आय का लगभग 0.23% है, जो यह दर्शाता है कि ऐसे प्रभार बैंकों की आय का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा हैं और मुख्य रूप से दंड के माध्यम से राजस्व सृजन के बजाय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की लागत के साथ संरेखित हैं।

ग्राहक केंद्रियता को और बढ़ाने और समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, पीएसबी ने अपने सेवा प्रभार ढांचे की समीक्षा की है। हालांकि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और वाणिज्यिक विचारों के अनुसार, एसबीआई ने मार्च 2020 से बचत खातों में न्यूनतम एमएबी नहीं रखने पर दंडात्मक प्रभार को पूरी तरह से माफ कर दिया था, वर्ष 2025 में नौ और पीएसबी ने इस तरह के प्रभारों को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 2025 में शेष दो पीएसबी ने भी न्यूनतम शेष प्रभार को युक्तिसंगत बनाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि न्यूनतम शेष राशि न रखे जाने के लिए दंडात्मक प्रभारों माफी अथवा बट्टे खाते डालने के संबंध में न्यायालय के निर्णयों के संबंध में सूचना उसके द्वारा नहीं रखी जाती है। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा बैंकों में ऐसे दंडात्मक प्रभारों से माफी या उसकी वापसी का अधिदेश देते हुए कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे बैंक खातों में सहमत न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने के मामले में ग्राहकों को एसएमएस, ईमेल, पत्र या अन्य उपयुक्त स्त्रोतों के माध्यम से सूचित करें। मौजूदा विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार दंडात्मक प्रभार लागू होने से पहले ग्राहकों को सामान्यत: अपेक्षित न्यूनतम शेष राशि बहाल करने के लिए समय प्रदान किया जाता है।

*****

अनुबंध

"बैंक खाते में न्यूनतम शेष धनराशि नहीं रखे जाने पर बैंकों द्वारा अत्यधिक शुल्क की वसूली" के संबंध में दिनांक 9.3.2026 का लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 221

पिछले *3* वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकत्र किए गए प्रभार का ब्यौरा:

(करोड़ रुपये में)

बैंक	न्यूनतम औसत शेष धनराशि बनाए नहीं रखने पर लगाए गए प्रभार (चालू खाता और बचत खाता)		
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
बैंक ऑफ बड़ौदा	387.52	443.30	441.35
बैंक ऑफ इंडिया	174.99	194.25	170.83
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	131.77	143.69	152.86
केनरा बैंक	390.85	358.67	277.71
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	150.81	135.31	97.19
इंडियन बैंक	295.23	367.66	503.38
इंडियन ओवरसीज बैंक	13.00	15.06	15.55
पंजाब एंड सिंध बैंक	19.02	42.53	48.57
पंजाब नैशनल बैंक	486.16	674.04	417.67
भारतीय स्टेट बैंक*	211.47	302.95	418.40
यूको बैंक	18.30	43.43	53.56
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	128.70	188.21	178.84

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

* यह राशि चालू खाते से संबंधित है क्योंकि एसबीआई ने मार्च *2020* से बचत खातों में न्यूनतम एमएबी (एमएबी*)* बनाए न रखने पर लगने वाले दंडात्मक प्रभार को पूर्ण रूप से माफ कर दिया था।

पिछले *3* वर्ष में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकत्र किए गए प्रभारों का ब्यौरा:

(करोड़ रुपये में)

बैंक	न्यूनतम औसत शेष धनराशि बनाए नहीं रखने पर लगाए गए प्रभार		
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
एक्सिस बैंक लिमिटेड	878.23	826.45	1,001.29
बंधन बैंक लिमिटेड	-	43.26	73.54
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	75.35	31.86	35.45
सीएसबी बैंक लिमिटेड	25.29	35.58	44.15
डीसीबी बैंक लिमिटेड	8.73	9.94	11.75
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	-	-	-
फेडरल बैंक लिमिटेड	86.21	102.76	132.42
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,036.05	1,316.80	1,518.92
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	400.45	433.06	391.28
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	76.17	59.31	75.73
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	91.93	120.44	119.18
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	92.68	108.76	170.60
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	-	30.52	47.67
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	-	-	-
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	51.99	50.14	49.84
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	192.26	261.24	254.26
नैनीताल बैंक लिमिटेड	-	-	-
आरबीएल बैंक लिमिटेड	28.33	28.92	33.43
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	41.83	62.61	89.45
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	26.71	28.76	30.03
यस बैंक लिमिटेड	59.75	69.66	119.89

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

*****